प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील संख्या: 392/2011

अपीलार्थी/ **:** स्वरूप चंद जैन एवं अन्य।

(याचिकाकर्ता)

बनाम

प्रत्यर्थी **:** छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

रिट अपील संख्या: 412/2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी/ : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

उत्तरवादी

बनाम

प्रत्यर्थी/ **:** स्वरूप चंद जैन एवं अन्य।

याचिकाकर्ता

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंडपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के तहत रिट अपीलें।

खंडपीठ: माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी एवं माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्ति।

उपस्थिति :

रिट अपील संख्या 392/2011 में अपीलार्थियों के अधिवक्ता श्री ए. सुराना और रिट अपील संख्या 412/2011 में प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता श्री विनय हरित, राज्य की ओर से उपमहाधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 28 मार्च, 2012 को पारित किया गया)

प्रति, डॉ. आई.एम. कुद्दुसी, न्यायमूर्ति:

1. उपरोक्त उल्लेखित रिट अपीलें, अर्थात स्वरूप चंद जैन और अन्य द्वारा दायर रिट अपील संख्या 392/2011 (जिनकी भूमि राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई थी) और राज्य/प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट अपील संख्या 412/2011, इस समान निर्णय द्वारा निर्णीत की जा रही हैं, क्योंकि ये दोनों अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 2630/2009 में पारित आदेश दिनांक 07-07-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि वर्ष 1946 में, रिट अपील संख्या 392/2011 के अपीलार्थियों की भानुप्रतापपुर स्थित खसरा नंबर 207/2 की 4.20 एकड़ भूमि को वन विभाग द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया के बिना अधिग्रहित कर लिया गया था। रिट अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने मुआवज़े के अनुदान या वैकल्पिक भूखंड के आवंटन के लिए प्रत्यर्थी/प्राधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिए, कानूनी नोटिस भेजे और विभिन्न पत्राचार किए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। बाद में, वर्ष 1985 में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1894') की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करके भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन जब अधिनियम, 1894 की धारा 11(ए) के तहत प्रदान की गई निर्धारित अवधि के भीतर कोई पंचाट पारित नहीं किया जा सका, तो कार्यवाही व्यपगत हो गई।

3. रिट अपील संख्या 392/2011 में रिट अपीलार्थी स्वरूप चंद जैन और सुरेश जैन उस आदेश से व्यथित हैं, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मुआवज़े की विभाजित राशि के ब्याज के निर्धारण का उल्लेख कथित तौर पर 'विनियोजन के नियम' के अनुसार नहीं किया गया है। इस संबंध में, आक्षेपित निर्णय के पैरा 11 से 14 अनुशीलन योग्य हैं, जो इस प्रकार हैं:

> "11. अब प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता मुआवज़े की राशि पर ब्याज के हकदार प्रश्नगत भूमि का कब्ज़ा लेने की तारीख से हैं या धारा 4(1) की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से?
>
> 12. इस संबंध में कानून भलीभांति स्थापित है कि अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के तहत बाज़ार मूल्य, धारा 4(1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर निर्धारित किया जाएगा और ब्याज भूमि का कब्ज़ा लेने की तारीख से देय होगा।
>
> 13. वर्तमान मामले में, कब्ज़ा अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से बहुत पहले ले लिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने कब्ज़ा लेने की तारीख से लेकर धारा 4(1) की अधिसूचना प्रकाशित होने तक कोई विवाद नहीं उठाया था, इसलिए याचिकाकर्ता ब्याज के हकदार नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 12-11-1990 के पंचाट के साथ निर्धारित मुआवज़े की राशि को भी स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष और शेष अवधि के लिए 15% की दर से ब्याज के हकदार हैं।
>
> 14. तदनुसार, याचिकाकर्ता दिनांक 3-5-1989 को धारा 4(1) के तहत अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कुल राशि पर 9% और भुगतान किए जाने तक शेष अवधि के लिए 15% की दर से ब्याज के हकदार हैं। 9,91,544/ रुपये के भुगतान के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ब्याज दिनांक 31-3-1993 तक देय होगा और शेष राशि यानी 7,34,656/ रुपये के मामले में, ब्याज, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिनांक 13-1-2009 तक देय होगा।"

4. छत्तीसगढ़ राज्य भी उनके ऊपर ₹1,00,000/ का हर्जाना अधिरोपित किए जाने से व्यथित है, क्योंकि कब्ज़ा बहुत पहले यानी वर्ष 1946 में ले लिया गया था, लेकिन पंचाट वर्ष 1990 में, दिनांक 3-5-1989 को प्रकाशित धारा 4(1) की अधिसूचना के आधार पर दिया गया है, इसलिए राज्य ने रिट अपील संख्या 412/2011 (मूल पाठ में त्रुटिवश 432 अंकित) दायर की है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का अनुशीलन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. रिट अपील संख्या 392/2011 में रिट अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि विनियोजन के नियम के अनुसार, पहले ब्याज के हिस्से का भुगतान किया जाना चाहिए था और उसके बाद मूल राशि की गणना की जानी चाहिए थी।

7. **गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ, (2006) 8 एससीसी 457** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष प्रश्न यह था कि 'धन की डिक्री के निष्पादन में विनियोजन का नियम क्या है?' क्या वही नियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत पंचाटडिक्री के मामले में लागू होता है, या भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम (1984 का 68) द्वारा यथा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में कुछ ऐसा है जो उस नियम को अनुपयुक्त या पूरी तरह से लागू न होने योग्य बनाता है?

8. उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

41. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संदर्भ में विनियोजन का प्रश्न और उसके प्रासंगिक प्रावधान विशेष रूप से इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष *प्रेम नाथ कपूर बनाम नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (1996) 2 एससीसी 71* में आए थे। उस मामले में, पंचाट बनने पर, कलेक्टर ने मुआवजे का भुगतान किया था जिसमें पंचाट के तहत निर्धारित तुष्टि और ब्याज शामिल था। जब उच्च न्यायालय ने मुआवजे में वृद्धि की, तो बढ़ी हुई राशि भी जमा कर दी गई। जब उच्च न्यायालय द्वारा विच्छेद के कारण हुए नुकसान के आधार पर कुछ और राशियाँ प्रदान की गईं और बाद में तुष्टि और ब्याज तथा धारा 23(2), 28 और 23(1A) के तहत देय संशोधित अतिरिक्त राशि को बढ़ाया गया, तब डिक्री धारक ने निष्पादन के लिए आवेदन किया। उसने प्राप्त राशि को सबसे पहले 'लागत' के विरुद्ध, फिर कुल मुआवजे और तुष्टि पर 'ब्यास' के विरुद्ध और उसके बाद 'भूमि के मूल्य' के विरुद्ध विनियोजित किया। हालांकि निष्पादन न्यायालय ने दावे की अनुमति दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया और निष्पादन मामले को उस आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार नए सिरे से निपटान के लिए वापस भेज दिया। उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को इस न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

42. जब अपील आई, तो डिक्री धारक की ओर से यह तर्क दिया गया कि शामिल प्रश्न मथुन्नी मथाई बनाम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में तय किया जा चुका था और कुछ भी तय करना बाकी नहीं था। यह तर्क दिया गया कि डिक्री धारक कलेक्टर द्वारा निर्धारित और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित भुगतान की तारीख तक, कब्जा लेने की तारीख से कुल मुआवजे की राशि पर ब्याज, साथ ही मूल मुआवजे की राशि से 'लागत' को विनियोजित करने का हकदार था। निर्णयलेनदार कलेक्टर द्वारा जमा की गई मूल राशि को पहली बार में लागत के विरुद्ध, फिर कुल राशि पर ब्याज और शेष राशि तथा उस पर

अर्जित ब्याज के विरुद्ध विनियोजित करने और निष्पादन में शेष राशि वसूल करने का हकदार था। इसलिए उच्च न्यायालय निष्पादन न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने में सही नहीं था। इस न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि प्रश्न मथुन्नी मथाई (1995) 4 एससीसी 26 के निर्णय द्वारा समाप्त हो गया था। इस न्यायालय ने दो प्रश्न रखे: राज्य का ब्याज देने का दायित्व कब समाप्त होता है? क्या भूमि का स्वामी जमा की गई राशि में से पहले 'लागत' और फिर 'ब्याज' को विनियोजित करने और फिर मूल राशि के विरुद्ध शेष राशि को समायोजित करने और फिर से कुल राशि पर ब्याज का दावा करने का हकदार है?

43. इस न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विस्तृत सर्वेक्षण किया और स्थिति का सारांश देते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्थापित होगा कि पंचाट में निम्नलिखित शामिल हैं: (क) धारा 23(1) के तहत निर्धारित मुआवजा, (ख) अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति के लिए अतिरिक्त राशि के रूप में धारा 23(2) के तहत निर्धारित बाजार मूल्य पर 'तुष्टि' और (ग) धारा 11 के तहत मुआवजे की राशि पर, या धारा 26 के तहत न्यायालय द्वारा दिए गए अतिरिक्त हिस्से पर, कब्जा लेने की तारीख से भुगतान या न्यायालय में जमा करने की तारीख तक, क्रमशः धारा 34 और 28 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट दरों पर ब्याज का भुगतान।धारा 23(1A) के तहत, धारा 4(1) की अधिसूचना की तारीख से पंचाट या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक (जो भी पहले हो), 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त राशि का भुगतान या जमा किया जाएगा। धारा 23(1A) के तहत अतिरिक्त राशि और धारा 23(2) के तहत तुष्टि, धारा 11 के तहत मुआवजे और धारा 26 या धारा 54 के साथ पठित धारा 23(1) के तहत निर्धारित अतिरिक्त राशि के अतिरिक्त हैं। इसी प्रकार,

अधिनियम की धारा 26 के तहत पंचाट को न्यायालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त राशि के लिए व्य.प्र.सं. की धारा 2(2) के तहत एक डिक्री माना जाता है; यह स्वतः प्रभावी होगा, जब धारा 54 के तहत अपीलीय न्यायालय ने मुआवजे को और बढ़ा दिया

44. अधिनियम की धारा 34 कलेक्टर पर यह दायित्व डालती है कि वह धारा 23(1) के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि पर कब्जा लेने की तारीख से लेकर भुगतान या न्यायालय में (जहाँ धारा 18 के तहत संदर्भ भेजा जाना है) जमा करने की तारीख तक ब्याज का भुगतान करे। मुआवजे की अतिरिक्त राशि के निर्धारण पर, धारा 28 न्यायालय को यह शक्ति देती है कि यदि वह कलेक्टर द्वारा दिए गए मुआवजे में वृद्धि कर रहा है, तो वह कलेक्टर द्वारा मुआवजे के रूप में दी गई राशि से अधिक की राशि पर ब्याज प्रदान करे। न्यायालय का पंचाट कलेक्टर को यह निर्देश भी दे सकता है कि वह ऐसी अतिरिक्त राशि या उसके हिस्से पर, भूमि का कब्जा लेने की तारीख से लेकर ऐसी अतिरिक्त राशि को न्यायालय में जमा करने की तारीख तक, उसमें निर्दिष्ट दरों पर ब्याज का भुगतान करे। न्यायालय ने कहा (प्रेम नाथ कपूर मामला, एससीसी पृ. 77 पैरा 10):

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"दूसरे शब्दों में, धारा 34 और 28 राज्य पर पंचाट और डिक्री की तारीख से मुआवजे की राशि पर या धारा 28 के तहत अतिरिक्त मुआवजे पर ब्याज देने का दायित्व डालती हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की अतिरिक्त राशि पर ब्याज देने का दायित्व, भूमि का कब्जा लेने की तारीख से लेकर ऐसी अतिरिक्त राशि को न्यायालय में जमा करने की तारीख तक पीछे की ओर प्रभावी होता है।"

45. न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला (प्रेम नाथ कपूर मामला, एससीसी पृ. 78 पैरा 12):

"12. अधिनियम की योजना और धारा 23(1) व (2), 34 और 28 तथा अब अधिनियम की धारा 23(1A) में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा से यह साफ है कि प्रत्येक घटक एक अलग और पृथक घटक है। जब धारा 23(1) के तहत मुआवजा निर्धारित किया जाता है, तो इसकी गणना, हालांकि विभिन्न स्तरों पर की जाती है, उस पर ब्याज देने का दायित्व उस तारीख से उत्पन्न होता है जिस दिन वह गणना की गई थी, लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, यह भूमि का कब्जा लेने की तारीख से लेकर न्यायालय में ऐसी अतिरिक्त राशि पर ब्याज जमा करने की तारीख तक पीछे की ओर प्रभावी होता है ब्याज देने का दायित्व केवल धारा 23(1) के तहत निर्धारित मुआवजे की 'अतिरिक्त' राशि पर है, न कि उस राशि पर जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा धारा 11 के तहत पहले ही निर्धारित की जा चुकी है और पक्षकार को भुगतान कर दी गई है या न्यायालय में जमा कर दी गई है, या धारा 26 या धारा 54 के तहत निर्धारित और न्यायालय में जमा की गई है, या धारा 23(2) के तहत तुष्टि और धारा 23(1A) के तहत अतिरिक्त राशि पर है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

XXXX XXXX XXXX

51. प्रेम नाथ कपूर (उपरोक्त) यह भी इंगित करता है कि जब एक पंचाटडिक्री पारित की जाती है, जिसमें विभिन्न शीर्षों जैसे धारा 23(1) के तहत राशि, धारा 23(2) के तहत राशि, धारा 23(1A) के तहत राशि और धारा 28 के तहत ब्याज निर्दिष्ट किया जाता है, और निर्णयऋणी इन विभिन्न शीर्षों के तहत निर्दिष्ट राशियों को जमा करता है, तो यह निर्णयऋणी द्वारा डिक्रीधारक को इस बात की सूचना देने के समान होगा कि जमा की गई राशि को निर्णयऋणी के दायित्व के निर्वहन में कैसे लागू किया जाना है। एक बार जब डिक्रीधारक इस प्रकार जमा की गई राशि को प्राप्त कर लेता है, तो वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम की योजना पर पंचाटडिक्री के तहत निर्णयऋणी द्वारा किए गए विनियोजन को

स्वीकार कर रहा होगा। प्रेम नाथ कपूर मामले में तर्क का यह हिस्सा, निश्चित रूप से, इस तर्क पर भी आधारित है कि संहिता (व्य.प्र.सं.) के आदेश XXI नियम 1 और अधिनियम की योजना में कुछ असंगति है। प्रेम नाथ कपूर यह भी इंगित करता है कि जब डिक्री स्वयं विभिन्न शीर्षों के तहत देय राशि निर्दिष्ट करती है (अधिनियम की धारा 26 के तहत डिक्री को ऐसा करना होता है) और उन विभिन्न शीर्षों के तहत राशियाँ जमा की जाती हैं, तो विनियोजन डिक्री के तहत दिए गए निर्देश के आधार पर होगा, जिसे विशेष शीर्षों के तहत भुगतान की गई विभिन्न राशियों को जमा करने के रूप में माना जाना चाहिए। अधिनियम की योजना, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 34 और धारा 28 की शब्दावली पर, यह कहना संभव नहीं है कि प्रेम नाथ कपूर में अपनाया गया उक्त दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण या अनुचित है या ऐसा दृष्टिकोण है जो समर्थित नहीं है। इसलिए, जब निर्णयऋणी राज्य, संदर्भ न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलीय डिक्री में दिए गए मुआवजे के विभिन्न शीर्षों के प्रति पृथक राशियों का विनियोजन करते हुए गणना के साथ जमा करता है, और डिक्रीधारक द्वारा वह राशि प्राप्त कर ली जाती है, तो यह माना जाना चाहिए कि डिक्रीधारक इस तरह से विनियोजन की मांग करने का हकदार नहीं है जैसे कि निर्णयऋणी ने कोई सूचना न दी हो, और वह अपनी इच्छा से विनियोजन करने का हकदार है। अधिनियम की धारा 23 में विशेष रूप से संदर्भित मदों की विशिष्ट प्रकृति के संदर्भ में अधिनियम के तहत मुआवजे की योजना पर विचार करते हुए, हमारा यह मत है कि प्रेम नाथ कपूर में अपनाया गया दृष्टिकोण न्यायोचित है। पहले से किए जा चुके संतोष को फिर से खोलने के उद्देश्य से किया गया पुन: विनियोजन उस मूल राशि के हिस्से पर भी ब्याज देय कर सकता है जो पहले ही जमा की जा चुकी है और डिक्रीधारक द्वारा प्राप्त की जा चुकी है, और यह 'अनुचित संवर्धन' के दायरे में होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

XXXX XXXX XXXX

53. इस प्रकार, कुल मिलाकर, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रेम नाथ कपूर मामले में विभिन्न चरणों पर विनियोजन के संबंध में निर्धारित 'रेशियो' (कानूनी सिद्धांत) न्यायोचित है; हालांकि, यदि किसी विशेष चरण में राशि कम पड़ती है, तो पंचाटधारक/डिक्रीधारक विनियोजन के सामान्य सिद्धांत के आधार पर उसे विनियोजित करने का हकदार होगा— यानी पहले ब्याज के प्रति, फिर लागत के प्रति और उसके बाद मूल राशि के प्रति। बशर्ते, जमा करते समय निर्णयऋणी द्वारा डिक्रीधारक को सूचित करते हुए यह संकेत न दिया गया हो कि जमा की गई राशि किन विशिष्ट शीर्षों के लिए है। इस प्रकार, हम विनियोजन के पहलू पर प्रेम नाथ कपूर के सिद्धांत का अनुमोदन करते हैं।

54. इस खंडपीठ द्वारा एक अन्य प्रश्न भी उठाने और उसका उत्तर देने का प्रयास किया गया, यद्यपि वह इसे संदर्भित नहीं था। यह देखते हुए कि यह प्रश्न देश भर की न्यायलयों में लंबित विभिन्न मामलों में उठता है, हमने अधिवक्ताओं को उस प्रश्न पर हमें संबोधित करने की अनुमति दी। वह प्रश्न यह है कि क्या सुंदर बनाम भारत संघ (2001) 7 एससीसी 211 के निर्णय के आलोक में, पंचाटधारक/डिक्रीधारक निष्पादन के दौरान तुष्टि पर ब्याज का दावा करने का हकदार होगा, भले ही डिक्री द्वारा इसे विशेष रूप से प्रदान न किया गया हो? यह सुस्थापित है कि निष्पादन न्यायालय डिक्री की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए, यदि तुष्टि पर ब्याज का दावा किया गया था और उसे संदर्भ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के निर्णय या डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो निष्पादन न्यायालय को 'सुंदर' मामले पर आधारित तुष्टि पर ब्याज के दावे को अनिवार्य रूप से इस आधार पर खारिज करना होगा कि निष्पादन न्यायालय डिक्री की समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन, यदि संदर्भ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय का पंचाट विशेष रूप से तुष्टि पर ब्याज के प्रश्न का उल्लेख नहीं करता है, या उन मामलों में जहाँ दावा नहीं किया गया था और संदर्भ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट या निहित रूप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से खारिज नहीं किया गया था, और केवल मुआवजे पर ब्याज दिया गया है, तो निष्पादन न्यायालय के लिए 'सुंदर' मामले के सिद्धांत को लागू करना और यह कहना खुला होगा कि दिए गए मुआवजे में तुष्टि शामिल है और ऐसी स्थिति में उस राशि पर ब्याज निष्पादन के दौरान जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है। अन्यथा नहीं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि तुष्टि पर ऐसे ब्याज का दावा केवल लंबित निष्पादन कार्यवाहियों में किया जा सकता है, न कि बंद हो चुके निष्पादन मामलों में; और निष्पादन न्यायालय सुंदर मामले के निर्णय की तिथि (19-09-2001) से इसकी वसूली की अनुमति देने का हकदार होगा, न कि उससे पूर्व की किसी अवधि के लिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इसमें डिक्रीधारक द्वारा कोई पुन: विनियोजन या नया विनियोजन शामिल नहीं होगा। हमने इस प्रश्न पर मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्टीकरण के रूप में यह संकेत दिया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनियम, 1894 की धारा 23 के तहत भूमि का मूल्य ₹16,38,000/ निर्धारित किया गया था, जिस पर ₹88,200/ का ब्याज था, कुल ₹17,26,200/। ब्याज धारा 4(1) के तहत अधिसूचना की तारीख से अर्जित हुआ था, और इसलिए, इस राशि पर धारा 4(1) की अधिसूचना की तारीख अर्थात 03-05-1989 से एक वर्ष की अवधि के लिए 9% ब्याज की गणना की जानी थी, और उसके बाद, एक वर्ष की समाप्ति के बाद अंतिम भुगतान होने तक यानी 13-01-2009 तक उस कुल राशि पर 15% ब्याज देय था।

10. विद्वान उपमहाधिवक्ता का तर्क है कि धारा 23 के तहत राशि पर अर्थात धारा 23(1A) के तहत 12% प्रति वर्ष की दर से कोई ब्याज प्रभार्य नहीं था। इसलिए, रिट अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, राशि का भुगतान विनियोजन के सिद्धांत के अनुसार किया जाना था।

11. राज्य द्वारा दायर रिट अपील संख्या 412/2011 के संबंध में, रिट अपीलार्थी (राज्य) के विद्वान उपमहाधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ₹1,00,000/ का जो शास्ति अधिरोपित किया गया है, वह माफ किए जाने योग्य है।

12. इस संबंध में, अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान अनुशीलन योग्य हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

"34. ब्याज का भुगतान— जब ऐसे मुआवजे की राशि का भुगतान या उसे जमा, भूमि का कब्जा लेने के समय या उससे पहले नहीं किया जाता है, तो कलेक्टर उस समय से लेकर जब तक कि उसका इस प्रकार भुगतान या जमा नहीं कर दिया जाता, निर्धारित राशि पर [नौ प्रतिशत] प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा:

(बशर्ते यदि ऐसे मुआवजे या उसके किसी भाग का भुगतान या जमा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन अधिपत्य लिया गया है, तो उक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख से उस मुआवजे की राशि या उसके भाग पर, जो ऐसी समाप्ति की तारीख से पहले भुगतान या जमा नहीं किया गया है, पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।)"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. चूंकि कब्जा वर्ष 1946 में लिया गया था और अधिनियम, 1894 की धारा 34 के अनुसार, ब्याज कब्जा लेने की तारीख से प्रभार्य था, लेकिन चूंकि रिट अपील में प्रत्यर्थी, अर्थात् स्वरूप चंद जैन और अन्य सो रहे थे और उन्होंने ब्याज के भुगतान का आदेश देने के संबंध में अनधिकृत कब्जे के खिलाफ कोई आंदोलन/विरोध नहीं किया था, इसलिए (उन पर) ₹1,00,000/ का शास्ति अधिरोपित किया गया है। हमारे विचार में, इसे देखते हुए, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, राज्य/प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट अपील संख्या 412/2011 खारिज की जाती है।

14. हालांकि, स्वरूप चंद जैन और अन्य द्वारा दायर रिट अपील संख्या 392/2011 के संबंध में, यह रिट अपील दायर करके आपत्ति प्रगट करने का मामला नहीं था क्योंकि रिट अपीलार्थियों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 'विनियोजन के नियम' के आलोक में पुनर्विचार के लिए पुनर्विलोकन याचिका दायर करने का पर्याप्त अवसर था। इसका निपटान इस टिप्पणी के साथ किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देशित ब्याज का भुगतान करते समय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹17,26,200/ की राशि पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 'विनियोजन के नियम' का पालन किया जाएगा।

15. राज्य द्वारा जो राशि जमा की गई है, उसे रिट अपील संख्या 392/2011 के रिट अपीलार्थियों (स्वरूप चंद जैन और अन्य) द्वारा निकालने की अनुमति दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/

आई.एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

हस्ता/

मिन्हाजुद्दीन

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By AJEY KUMAR